# शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकासः महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में डॉ. बी. आर. आंबेडकर के विचार

दीपक कुमार वर्मा ♦

वर्तमान युग आंबेडकर युग है। भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर अपने विश्व विराट व्यक्तित्व व उनके द्वारा रचित सभी राष्ट्रों के लिए अपनाये जा सकने वाले शाश्वत संविधान कृतित्व के कारण सदैव ही आदर के साथ स्मरण किये जायेगें। डॉ. आंबेडकर हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे और सदैव रहेंगे। हम सभी भारत रत्न डॉ. बी. आर. आंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के पुरोधा तथा सुधारक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने सामाजिक उत्थान एवं समतामूलक सामाजिक व्यवस्था एवं न्याय की स्थापना के लिए सतत् संघर्ष किया। डॉ. आंबेडकर के जाति एवं जाति–व्यवस्था पर गहन एवं आलोचनात्मक अध्ययन एवं लेखन प्रसिद्ध हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु डॉ. आंबेडकर का योगदान भी अतुलनीय है।

डॉ. आंबेडकर ने समाज के चारों पहलुओं धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। आजादी–पूर्व के समाज में धार्मिक निर्योग्यताओं के कारण समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर रह गया था, और अभावग्रस्त एवं तिरस्कृत जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया था। समाज में फैली छुआछूत की कुलषित भावना के कारण उन्हें समाज से पृथक समझा जाता था। इस समस्या के प्रति आंबेडकर की सोच अपने समकालीन सुधारवादियों से भिन्न थी। सामाजिक समानता के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे किन्तु उनकी दृष्टि में सामाजिक मुक्ति का प्रश्न मानव अधिकार की पुर्नस्थापना और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष का प्रश्न था।

समाज में शोषितों को भी समान समझा जाये और उन्हें भी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने दिया जाये, इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुऐ उन्होंने सन् 1927 में महाड़ जल सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह किया। और दोनों आंदोलनों में उनकी मानवीय अधिकारों की मांग निहित थी। इन वर्गों को, शोषितों को गांव अथवा नगर के बाहर अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता था। इनके व्यवसाय की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि व्यक्ति कार्य की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण शीघ्र ही किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता था। साथ ही निर्धनता के कारण न तो पौष्टिक भोजन मिलता था और न ही बीमार होने पर चिकित्सा। समाज में सदैव इन्हें पग–पग होने वाला अपमान और तिरस्कार झेलने पड़ते थे।

डॉ. आंबेडकर को यह अनुभूति हो गई थी कि यदि शोषित वर्ग मिल–जुल कर सामूहिक आधार पर कार्य करेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ सकती है और वे अपने अधिकारों की दिशा में प्रबल संघर्ष छेड़कर समानता प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. आंबेडकर का यह मानना था कि अस्पृश्यता, शोषण और भेदभाव की समस्या तब तक समाप्त नहीं हो

---

♦ प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार वर्मा, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू, मध्यप्रदेश). संपर्क : 9926015814 email- director@brauss.in

सकती जब तक कि समाज से जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो जाता । उनका मानना था कि अतीत में भारत में अनेक महात्मा पैदा हुए जिनका लक्ष्य अस्पृश्यता का निवारण व अस्पृश्यों का उत्थान कर उन्हें समाज की सामान्य धारा से जोड़ना तो था, किन्तु ये सामाजिक समस्याएं वैसे ही बनी रहीं।

डॉ. आंबेडकर ने मार्ग दर्शाया कि सुधार के साथ संघर्ष जरुरी है। वे सुधार और संघर्ष में अतंर को जानते थे। उनके अनुसार खोये हुए अधिकार याचना से नहीं मिलते । इसके लिए संघर्ष करना होता है । 20 जुलाई 1942 को एक सम्मेलन में भाषण देते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि ''मैं आपसे इस बात का आश्वासन चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होगें, संघर्ष करेंगे। और तब तक पीछे नहीं हटेगें जब तक इनकी प्राप्ति नहीं हो जाती। आप अपना कार्य पूरा करने की प्रतिज्ञा करें मैं अपना कार्य करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हम जीतेगें । न्याय हमारे साथ है।''

**शिक्षा से समाजिक परिवर्तन**

समाजिक परिवर्तन का सशक्त मार्ग डॉ. आंबेडकर ने शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम तरीकों में तलाशा था। वे जानते थे कि जो एक बार सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुँच जायेगें, उनका आदर भी होने लगेगा। और एक बार जब वे सम्मान योग्य बन जाएंगे तो उनके सम्बन्ध में रूढ़िवादियों की दृष्टि भी बदल जाएगी। यही उनका महिला सशक्तिकरण के लिए भी वैचारिक आधार था।

सामाजिक एकीकरण तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि सभी को सामाजिक समानता प्राप्त नहीं होती, राष्ट्रीय सम्पत्ति और आय में उचित हिस्सा नहीं मिलता। डॉ. आंबेडकर ने एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन किया है जिसे इस जगत में ही व्यावहारिक बनाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी महिला–पुरूष अपने को उनके दर्शन के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। हमें उस समाज व्यवस्था के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाना चाहिए जो उनके दर्शन का लक्ष्य है। उनके दर्शन को व्यवहारिक रूप में देने से कमजोर वर्गों को सम्मान एवं सफलता, समानता और स्वतंत्रता मिलेगी। यदि नवीन समाज की स्थापना करनी है तो उपयोगिताहीन पुरातन का त्याग और प्रगतिशील नूतन को स्वीकार करना पड़ेगा ।

उनका प्रमुख नारा 'शिक्षित बने, संगठित रहो और संघर्ष करो' तथा 'अप्प दीपो भव' अर्थात अपना 'दीपक स्वयं बनो' हम सबके लिए प्रेरणा मंत्र है। स्पष्ट है कि डॉ. आंबेडकर के समाज की समस्याओं पर दशकों पूर्व किये गये प्रयासों और उनके शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के लिए दिये गये विचार और दर्शन आज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। डॉ. आंबेडकर के विचार आधुनिक समाज में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन लिए ज्यादा प्रासंगिक हो गये हैं ।

समता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय और स्वतंत्रता के प्रयास काफी समय से हो रहे हैं। डॉ. आंबेडकर ने इनके लिए समाज में परिवर्तन को जरुरी माना और उनका यह भी मानना था कि ऐसा सामाजिक परिवर्तन शिक्षा से ही संभव है। डॉ. आंबेडकर महात्मा जोतीबा फुले, गौतम बुद्ध और संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। महात्मा जोतीबा फुले और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा हेतु किये विशेष प्रयासों ने ही सार्थकता प्रदान कर सामाजिक व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन का शुभांरभ किया।

महात्मा फुले द्वारा छेड़े गए क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने और उसे विधिवत मूर्त रुप देने का कार्य डॉ. आंबेडकर ने किया। उन्होंने महिला को समानता एवं स्वतंत्रता दिलाने तथा सामाजिक अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समूल नष्ट करने हेतु प्रबल जन चेतना जगाई। डॉ. आंबेडकर भारतीय महिला के लिए उद्धारक के रुप राष्ट्र के सामने उभरे। उन्होंने सामाजिक धरातल पर महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में समान भागेदारी व अधिकार दिलाने में समझा। डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव व कुरीतियों को संविधान के माध्यम से समाप्त करना जरुरी समझा। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने के लिए अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, वहीं सामाजिक कुप्रथाओं जैसे अल्पायु में विवाह, विधवा विवाह निषेध एवं दहेज आदि को समाप्त करने हेतु  कानून पारित करवाने में सक्रिय प्रयास भी किये।

मानव सभ्यता और मानव विकास के इतिहास के अवलोकन से भी यही सर्वमान्य तथ्य उजागर होता है कि सभ्यता और मानव विकास दोनों समाज में महिलाओं के प्रस्थिति और उनकी भूमिका में नीहित रही है। वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति, आधुनिकिकरण, शिक्षा, संवैधानिक प्रावधानों तथा धर्मिक व सामाजिक सुधारकों के सक्रियों के कारण महिलायें की प्रस्थिति और भूमिका दोनों में परिवर्तन आया है। जिसका प्रमुख कारण रहा है कि समाज सुधारकों ने इस ऐतिहासिक तथ्य को भलीभांती पहचान लिया था कि समाज के विकास और पतन में नारी की उन्नति और अवनति का सीधा संबंध रहा है।

सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला शिक्षा क्रान्ति के जनक महात्मा जोतीबा फुले ने समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के विरूद्ध अपने संघर्ष की शुरूआत समाज में सर्वाधिक दलित व पीड़ित जातियों की नारियों की विमुक्ति–संघर्ष से की।  महात्मा गाँधी का भी मानना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करना होगा। नारी के ऊपर जो निर्योग्यतायें थोपी गई थीं उन्हें समाप्त करना होगा और महिलाओं को शिक्षा द्वारा उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामीय सामाजिक प्रक्रिया है जो महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाती है।

**महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा**

सैद्धांतिक रुप से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक सामाजिक कालखंड एवं नियत परिस्थितियों में समाज में शक्ति का कुल योग तो लगभग समान ही रहता है अंतर केवल उसके वितरण, क्रियान्वयन व उपभोग में होता है। अतः किसी एक वर्ग के पास अधिक शक्ति संधारित हो जाने से स्वतः ही दूसरे वर्ग की शक्ति में कमी आ जाती है, जैसा कि महिलाओं के साथ प्रायः सभी समाजों में हुआ भी है।

महिला सशक्तिकरण द्वारा ही सामाजिक आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की सक्षमता का विकास हो सकता है, जिससे उनमें अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने के साथ–साथ परिवार और समाज के विषयों में निर्णय लेने में भागेदारी भी सुनिश्चित होती है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक भी है क्योंकि पुरूष प्रधान समाज में शक्ति वितरण की व्यवस्था अन्यायपूर्ण होने से महिलाओं को विकास की धारा से अलग रखती है। अतः

महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कर, उन्हें आत्म–निर्भर बना तथा उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास करके ही महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है।

वैसे सामाजिक शक्ति और सत्ता का हस्तांतरण आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन पुरूष और महिला के मध्य सत्ता का सामंजस्य बढ़ती जेंडर संवेदनशीलता, नारीवादी आंदोलनों और विशेषकर महिलाओं में तेजी से बढ़ रही जागरुकता व शिक्षा के कारण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वास्तव में सामाजिक विकास व परिवर्तन प्रक्रियातंर्गत महिला सशक्तिकरण विकासात्मक अवश्यंभावी व अपरिहार्य भी है।

डॉ. आंबेडकर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था – *''जिस प्रकार पुरुषों को शिक्षा की आवश्यकता होती है वैसे ही महिलाओं को भी होती है। यदि उन्हें पढ़ना–लिखना आ गया तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। जैसे तुम वैसी तुम्हारी संतान भी होगी''* डॉ. आंबेडकर इस तथ्य पर जोर देते थे कि संतान सबसे पहले अपनी मॉ के ही सम्पर्क में आती है और यदि एक महिला शिक्षित हो गयी तो परिवार के सभी सदस्य अपने आप शिक्षित हो जायेगें। अर्थात महिला का शिक्षित होना बेहद जरुरी है, जिससे न केवल वह स्वयं शिक्षित होगी अपितु परिवारों को भी शिक्षित कर सामाजिक परिवर्तन तेजी आ सकेगी।

डॉ. आंबेडकर के गुरु जोतीबा फुले ने भी इसीलिए महिला शिक्षा पर जोर दिया और उसके लिए अपनी पत्नी को ही सबसे पहले शिक्षित कर शिक्षक बनाने के लिए चुना। जोतीबा फुले के अनुसार *''जब मेरी पत्नी शिक्षित हो सकती है तो और महिलाएँ क्यों नही शिक्षित हो सकती? .....मेरी पत्नी भी उन सभी परम्पराओं व रुढ़िवादियों में गुजर रही है।''*

वैसे सभी समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को उनके विकास में महत्वपूर्ण माना है। लेकिन शिक्षा के साथ–साथ, समाज में महिला की समान रुप से सहभागिता होने की अनिवार्य भी मानते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था *''मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। महिला की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है।''*

महिला शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था *''किसी भी व्यक्ति को उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता होती है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बिना शिक्षा के सर्वत्र अंधेरा है। प्रकाश फैलाने के लिए शिक्षा परमावश्यक है। यदि हम लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाएं तो हम और भी शीघ्र प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा किसी वर्ग की बपौती नहीं है। उस पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है।''*

डॉ. आंबेडकर ने हमें सबसे सशक्त नारा दिया है *''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो,''* जिसमें भी उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की बात कही है। डॉ. आंबेडकर के अनुसार शिक्षा हमें अच्छे, बुरे का ज्ञान कराती है व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है, तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जब तक हमें ये ही नहीं मालूम कि हम पर अन्याय हो भी रहा या नहीं, तो उसके विरुद्ध आवाज कैसे उठायेगें। अन्याय को हम समाज की नीति मानकर स्वीकार कर लेगें तो न्याय क्या है हम समझेगें कैसे? हम

अधिकारों के प्रति कैसे सजग होगें? डॉ. आंबेडकर का अतः मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो हमें सभी प्रकार के अन्यायों से मुक्त करा सकता है। शिक्षा मनुष्य को पशुओं से भिन्न करती है तथा जीने का तरीका सिखाती है।

समाज में परिवर्तन लाने हेतु महिला शिक्षा की अहम् भूमिका को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा था कि महिला शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने की महती भूमिका निभाती है। किसी भी समाज की उन्नति को महिला उन्नति का मापदंड मानने वाले डॉ. आंबेडकर ने बम्बई की एक सभा में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था *''महिला राष्ट्र की निर्मात्री है। राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। महिला को जाग्रत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है।''*

यहां डॉ. आंबेडकर ने शिक्षा द्वारा बालक के सही लालन पालन पर जोर देते हुए कहा था कि बच्चे के सही लालन पालन हेतु मॉ का शिक्षित होना आवश्यक है। बच्चों के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक निर्माण में पुरुष की अपेक्षा महिला का ही अधिक योगदान रहता है। वह देश के भावी नागरिक की निर्मात्री होती है। वह जिस प्रकार के संस्कार बच्चों में डालेगी, बच्चा उसी के अनुरुप ढलता चला जाएगा।

**महिला सशक्तिकरण – डॉ. आंबेडकर द्वारा संवैधानिक प्रयास**

संविधान निर्माण करते समय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान रखा और संविधान में आवश्यक उपबन्ध किये, जैसे प्रथमतः अनुच्छेद 15 के द्वारा लिंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिये गये। जेंडर समानता की तरफ यह सबसे मजबूत कदम साबित हुआ है।

अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के माध्यम से महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार, इस अनुच्छेद की धारा 3 द्वारा राज्य को महिलाओं के लिये विशेष उपबन्ध किये जाने का प्रावधान किया। महिलाओं के आर्थिक–सशक्तिकरण के लिये उन्हें अनुच्छेद 16(2) के तहत लोक नियोजन में पुरूष के साथ समानता दी गई। डॉ. आंबेडकर के सक्रिय योगदान के कारण ही महिला और पुरूष के बीच मजदूरी व वेतन इत्यादि में विसंगतियों को समाप्त किया गया, राज्य नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया तथा काम के दौरान उन्हें प्रसूति लाभ की सुविधा भी प्रदान की गई है। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के साथ–साथ रोजगार के नये अवसरों में पुरूषों के समान महिलाओं ने भी नये नवाचारी रोजगार अवसरों का लाभ उठाया।

संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत राज्य को अपनी नीतियाँ इस प्रकार संचालित करने को निर्देशित किया गया जिससे कि महिला और पुरुष सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त हो तथा महिलाओं के लिये प्रसूति सहायता का उपबन्ध हो। अनुच्छेद 51 में भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में यह सम्मिलित किया गया कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत महिलाओं को पुरूषों की भांति समान नागरिकता, अनुच्छेद 325 एवं अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार

बिना किसी लिंगाधारित भेदभाव के महिलाओं का नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने और मताधिकार प्रदान किया गया। ये सब संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हिन्दू कोड बिल के माध्यम से डॉ. आंबेडकर ने प्रयास किये जिसके फनस्वरुप ही बाद में अल्पायु में विवाह किये जाने को प्रतिबन्धित कराया गया, महिलाओं को सम्पत्ति संबंधी अधिकार प्रदान कर उनकी निर्भरता को दूर करने का प्रयास किया। इनके अतिरिक्त जाति अन्तर्विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुये उन्होंने महिलाओं को अन्तर्जातीय विवाह, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता तथा तलाक संबंधी अधिकार दिलाने का भी प्रयास किया, जिसके कारण ही कालांतर में सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिर्वतन आये हैं।

डॉ. आंबेडकर का मानना था कि पुरुष के व्यक्तित्व गठन से लेकर समाज, सभ्यता और संस्कृति निर्माण का दायित्व महिला तभी निभा सकी है, जब उसे स्वयं के विकास का अवसर मिला हो। **अतः एक लड़की को शुरु से ही शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित और संस्कार संपन्न हो सकता है। शिक्षित महिला अपने बच्चों का सुचारु रुप से पालन–पोषण कर सकती है, उसमें अच्छे संस्कार डाल सकती है। यही नहीं राष्ट्र को एक सुयोग्य, ईमानदार एवं निष्ठावान नागरिक भी, एक शिक्षित महिला ही दे सकती है।**

अतः परिवार निर्माण, समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए महिला शिक्षा को डॉ. आंबेडकर ने पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक माना। किन्तु यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक कि महिलाओं को झाड़–फूंक, टोना–टोटका जैसी कुप्रथाओं, सामाजिक कुरीतियों वाली पंरपराओं व अंधविश्वासों व पुरातनपंथी मूल्यों के अंधकारपूर्ण गर्त से निकाल कर आधुनिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती।

**जेंडर सशक्तिकरण – एक सामाजिक क्रांति**

यह विडंबना ही है कि सदियों से सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों पर भेदभाव का शिकार होते रहने से महिलाओं ने शोषण, अन्याय और अत्याचार को अपनी स्थायी एवं देवयोग नियति ही मान लिया था। जिसके कारण महिलाएं स्वयं भी अपने आप को पुरुष की सहयोगी के स्थान उनकी दासी मान कर ही जीवन व्यतीत करती थी।

इस प्रस्थिति और भूमिका को नकार, सामाजिक क्रांति एवं परिवर्तन में महिला की अहम् भूमिका को अनिवार्य मानते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था–***"सामाजिक क्रांति में महिला वर्ग को पुरुष वर्ग की सहयोगी बनाना होगा। समाज के आधे अंग को जागृत किए बिना, साथ लिए बिना सामाजिक क्रांति संभव नहीं है।*** महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने एवं मानवीय जीवन जीने के अधिकार दिलाने के लिए डॉ. आंबेडकर ने केवल संघर्ष ही नहीं किया अपितु स्वयं कठोर परिश्रम करके अपने लेखन और शासन के समक्ष मजबूती से पक्ष रखते हुए भारतीय महिला को स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति में उत्तराधिकार, तलाक, विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध, गर्भवती महिलाओं को प्रसुति अवकाश जैसे अधिकार दिलाए।

महिला अधिकारों के लिए डॉ. आंबेडकर ने जो संघर्ष किया, वह हिन्दू कोड बिल पर उनके द्वारा किये गए परिश्रम और उसे पारित कराने के लिए उनके द्वारा सत्ता में रहकर, सत्ता से ही संघर्ष करते हुए और सत्ता में बने

रहने का किसी भी प्रकार का लालच किये बगैर अपना इस्तिफा तक दे दिया। इस प्रकार भारतीय महिला को अपमानजनक स्थिति से उबारने एवं नरक के गर्त में डूबने से बचाने तथा उनकी दासता की बेड़ियां काटने का श्रेय समानता व सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी, भारत रत्न डॉ. आंबेडकर को ही जाता है। यह सर्वविदित एवं सर्वमान्य तथ्य है कि आज महिलाओं में जितना विकास और प्रगति नजर आती है वह सब डॉ. आंबेडकर के प्रयासों का ही प्रतिफल है।

जेंडर समानता हेतु सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष अभी बाकी है। अभी भी हमारे समाज में पुरुष ही परिवार में कर्ता माना गया है, और न्यायालय भी इसी सामाजिक व्यवस्था को मान्यता देता है। सामाजिक परिवर्तन का नया आयाम जेंडर आधारित समानता की संकल्पना में पुरुष और महिला दोनों एक इकाई हैं, इसी जेंडर समानता के लिए परिवार के 'कर्ता' की अवधारणा विकसित कर विधिसम्मत परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

,,,,,,,